



सत्यमेव जयते



नरेन्द्र मोदी  
प्रधानमंत्री



एक कदम स्वच्छता की ओर



योगी आदित्यनाथ  
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

# धान खरीद

2017-18

25 सितम्बर, 2017 से शुभारम्भ

## किसान भाईयों के लिये खुशखबरी

### पंजीयन करायें, समर्थन मूल्य का लाभ उठायें

- किसान बन्धुओं से सीधी की जा रही है धान खरीद।
- धान खरीद के लिए ऑनलाइन होगा किसान भाईयों का पंजीयन।
- किसी भी जन सुविधा केन्द्र या साईबर कैफे से करा सकते हैं पंजीयन।
- विभाग के पोर्टल [fcs.up.nic.in](http://fcs.up.nic.in) से होगा पंजीयन।
- बिचौलियों से बचने के लिए अवश्य करायें पंजीयन।
- धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ जोत बही/खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं यथासंभव आधार कार्ड साथ लायें।
- रु. 1550 प्रति कुंतल (कामन) एवं रु. 1590 प्रति कुंतल (ग्रेड ए) मिलेगा समर्थन मूल्य।
- समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को उतराई, छनाई/सफाई के लिए रु. 15/ प्रति कुंतल की दर से सरकार करेगी ऑनलाइन भुगतान।

### धान क्रय की अवधि

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड में दिनांक 25.09.2017 से 31.01.2018 तक।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.11.2017 से 28.02.2018 तक।

### पंजीयन प्रारम्भ



धान की विशिष्टियाँ		अधिकतम सीमा
1. विजातीय तत्व	(क) अकार्बनिक	1.00%
	(ख) कार्बनिक	1.00%
2. क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने		5.00%
3. अपरिपक्व, संकुचित और सिकुड़े हुए दाने		3.00%
4. निम्न वर्गों का अधिमिश्रण (ग्रेड 'ए' हेतु)		6.00%
5. नमी		17.00%

किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर

**1800-1800-150**

या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।